न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/2480 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–17 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत हर्राखेड़ा प्रकरण कमांक 3/अ–13/2016–17.

1– रघुवीर सिंह आत्म स्व. रामप्रसाद
2– अरूण नागर आत्मज रघुवीर सिंह
निवासीगण एवं काश्तकार
ग्राम हिनौती सड़क
तहसील बैरसिया जिला भोपाल ....आवेदकगण

विरूद्ध

गोपीलाल आत्मज कालूराम
निवासी व काश्तकार हिनौती सड़क
तहसील बैरसिया जिला होशंगाबाद ....अनावेदक

श्री के.एस. राजपूत, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री समीर साहू, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 6/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत हर्राखेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–7–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा हेतु नायब तहसीलदार, वृत हर्राखेड़ा, बैरसिया के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हिनौती सड़क स्थित खसरा नम्बर 542/2 रकबा 0.600 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की है, जिस पर आने–जाने के रास्ते को आवेदकगण द्वारा रोक दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही अंतरिम रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–13/2016–17 दर्ज कर संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार

किया जाकर, अन्तरिम आदेश मात्र खरीफ फसल वर्ष 2017–18 की बोवाई एवं कटाई के समय तक इस शर्त के साथ कृषि यंत्रों सहित भूमि पर आवागमन की अनुमति दी गई कि यदि आवेदकगण की फसल को नुकसान होता है तो अनावेदक बीज सहित पुनः बोकर देगा । नायब तहसीलदार के इसी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, हल्का पटवारी की झूठी जांच प्रतिवेदन के आधार पर अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 131 के अंतर्गत अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 541, 542/1 की मेड़ से रास्ता दिया गया है, जबकि आवेदकगण की भूमि से कभी भी रास्ता नहीं रहा है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक, आवेदकगण की फसल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अवैधानिक रूप से रास्ते की मांग कर रहा है, जिससे आवेदकगण की लगभग 3 एकड़ भूमि की फसल नष्ट होने की संभावना है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण में आवेदकगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध करना पाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार

द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर वर्ष 2017–18 की खरीफ फसल की बोवाई व कटाई के लिए अनावेदक के लिए आने–जाने हेतु रास्ता खोले जाने के निर्देश दिये गये थे । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय का आदेश केवल 2017–18 की खरीफ फसल के लिए था, जो अब व्यतीत हो चुका है, इसलिए यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर